

क्रमांक:

/राजस्व/087

दिनांक- 28-3-07

संपरिवर्तन- आदेश

श्री सुभाष विधा मन्दिर समिति सेवदबड़ी जूरिये सचिव गुंगाधर बघाला पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट नं० १५० श्यात्या का बास तहसील व जिला सीकर
तहसील सीकर के आवेदन पर उसकी छातेदारी अभिधारिता में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू- राजस्व गृहीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये राजस्थान भू- राजस्व संपरिवर्तन नियम, 1992 के नियम 8(2)(8)(3) के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:-

- 1- आवेदक छातेदार अभिधारी का नाम सुभाष विधा मन्दिर समिति सेवदबड़ी जूरिये सचिव
पिता/पति के नाम सहित पूरा पता: गुंगाधर बघाला पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट नं० १५० श्यात्या का बास तहसील व जिला सीकर।
- 2- क्या आवेदक अनु जाति या अनु जनजाति का सदस्य है: नहीं

- 3- संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा: ग्राम सेवदबड़ी ग्राम पंचायत सेवदबड़ी तहसील व जिला सीकर।

क) ग्राम/ ग्राम पंचायत/ तहसील का नाम

ख) भूमि का खासरा सं० और प्रत्येक खासरा सं० 898/259 रकबा 0.25 है०
सं० का क्षेत्रफल है हेक्टर में

ग) प्रत्येक खासरा सं० और प्रत्येक खासरा सं० 898/259 रकबा 0.25 है० अर्थात् 2500 का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन मीटर वर्तित क्षेत्रफल है हेक्टर या वर्ग मीटर में

टिप्पणी :- अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तित सत्यप्रति संलग्न है।
भूमि को दर्शाते हुये रा० नक्शों के संलग्न भाग की सम्यक रस से सत्यापित प्रति संलग्न है

- 4- संपरिवर्तन का प्रयोजन:

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

- 5- संदेय प्रीमियम की दर

1) $200 \times 4 = 800 = 00$

- 6- वालान की सं० तथा तारीखा सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम

2) $1800 \times 8 = 14,400 = 00$

3) $500 \times 16 = 8000 = 00$

- 7- वालान की सं० तथा तारीखा सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम

शास्ति 25/- प्रतिशत मीटर से $5800 = 00$

कुल योग = 29,000/- रुपये

- 8- वालान की सं० तथा तारीखा सहित ब्याजवाला नं० 1104 व 1105 दिनांक 22-3-07 यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम

पान्तरण शुल्क व शास्ति की राशि रुपये 29,000/-

10- अन्य विशिष्टतायें यदि कोई हों:

11- उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेशा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

§11 उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किंथ बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा.

§12 यदि आवेदक इस आदेशा के जारी होने की तारीखा से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धान सम्पहृत हो जायेगा.

§13 नियम-4 के यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा.

§14 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किंथ बिना नहीं किया जायेगा.

§15 संपरिवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य हाइवे प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त निर्धारित दूरी व उचाई पर ही किया जाना वैध होगा।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर: *ए. ए. ए. अधिकारी*

क्रमांक: 240-246

/ 200 राजस्व 2007

दिनांक 28 मार्च 2007

प्रतिलिपि:-

§11 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सीकर.

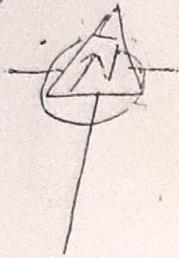
§12 ~~तहसील~~ राजस्व लेखाकार ~~तहसील~~, सीकर.

§13 सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ पटवारी हल्का-सेवद बड़ी तहसील व जिला सीकर।

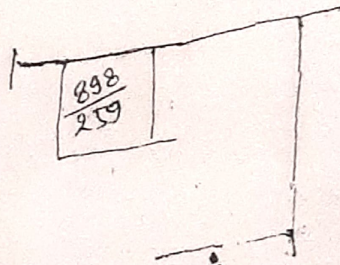
§14 ~~जन्मविवरण~~ श्रीमान तहसीलदार सीकर को उनके पत्र 408 दिनांक 14-2-07 के में पेश है।

§15 आवेदन सुभाव विधा मन्दिर समीत सेवदबड़ी जीर्ये सौधव-

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर *ए. ए. ए. अधिकारी*



ओशिक नमल नमडा गाठ सेवडवरी
 लहो/ किलो 1-25/1-
 पमाण Jan = 40 m/Hr



27/1/2018

P. 2010. 2989

2. सह नमल नमडा गाठ सेवडवरी 24/Jan/87

पणजी लहो/ वीर शोड्या कसळ
 240-256/ मणामाळ दिवस

28-3-2007 को एक माग रेखा

ह. धो

उ. लहो/ वीर

Attested

20/1/2018
 नमल नमडा गाठ सेवडवरी